

झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, लातेहार।

विज्ञापन संख्या-01/2026

लातेहार जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए विज्ञापन।

1. लातेहार जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए रिक्तियों के विरुद्ध सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑन-लाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। ग्रामीण गृह रक्षक तथा शहरी गृह रक्षक के लिए ऑन-लाईन आवेदन विहित प्रपत्र में अलग-अलग जमा करेंगे।

नोट:- (i) गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है तथा गृह रक्षक उसके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं। जितने दिन आवश्यकतानुसार उन्हें कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त किया जाता है उतने कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता भुगतान देय होता है। यह कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है। अतः उन्हीं उम्मीदवारों से आवेदन की अपेक्षा की जाती है, जो राष्ट्र की सेवा निःस्वार्थ करने के लिए तत्पर हों।

2. गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्ति निम्नवत् है, जो घट या बढ़ सकती है।

(क) ग्रामीण गृह रक्षकों (महिला/पुरुष) के लिए रिक्ति:-

क्र०	प्रखण्ड का नाम	पुरुष	महिला	रिक्ति
1.	लातेहार	17	16	33
2.	चंदवा	19	19	38
3.	बालुमाथ	16	16	32
4.	बारियातु	18	18	36
5.	हेरहंज	25	25	50
6.	मनिका	15	15	30
7.	बरवाडीह	20	19	39
8.	महुआडॉड़	19	18	37
9.	गारु	21	20	41
10.	सरयू	55	55	110
कुल -		225	221	446

(ख) शहरी गृह रक्षकों (महिला/पुरुष) के लिए रिक्ति :-

क्र०	शहरी क्षेत्र	पुरुष	महिला	रिक्ति
1.	शहरी तकनीकी	3	3	6
2.	शहरी गैर तकनीकी	3	2	5
कुल -		6	5	11

उपरोक्त दोनों कोटि-(ग्रामीण/शहरी गृह रक्षक) के लिए नामांकन में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए कर्णांकित होंगे, जिसकी रिक्ति की विवरणी उपरोक्त में दी गई है।

महिलाओं के लिए कर्णांकित पदों में से 5 प्रतिशत पद अर्हता प्राप्त तलाकशुदा/परित्याक्ता/विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। तलाकशुदा/परित्याक्ता/विधवा अभ्यर्थी के

Int

N

(Signature)

उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में उक्त 5 प्रतिशत पद पुनः महिलाओं के लिए कर्णांकित प्रतिशत में समाहित हो जायेगा।

शहरी गृह रक्षकों के लिए रिक्ति में 50 प्रतिशत पद तकनीकी दक्ष उम्मीदवारों के लिए होगा। योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर गैर तकनीकी/तकनीकी दक्ष की रिक्ति एक दूसरे से भरी जायेगी।

3. अर्हता :—

(क) आवासीय :—

(i) ग्रामीण गृह रक्षक :— अभ्यर्थी को लातेहार जिला के उस प्रखण्ड का स्थायी निवासी होना चाहिए जहाँ से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए आवेदन देता है। अपने आवेदन के साथ राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकार से निर्गत ऑन-लाईन आवासीय प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे।

(ii) शहरी गृह रक्षक :— अभ्यर्थी को लातेहार जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। अपने आवेदन के साथ राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकार से निर्गत ऑन-लाईन आवासीय प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे।

(ख) उम्र सीमा :— 01.01.2026 को 19 से 40 वर्ष।

(सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म तिथि प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे)।

(ग) शैक्षणिक योग्यता :—

(i) ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 7वीं पास।

(ii) शहरी गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम मैट्रिक (10वीं) पास।

(सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत शैक्षणिक प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे)।

(घ) शारीरिक मापदण्ड :— (ग्रामीण/शहरी गृह रक्षक दोनों के लिए समान)

(i) लम्बाई :— पुरुष — 162 से 0मी० (सामान्य/ओ०बी०सी०/बी०सी०)

157 से 0मी० (अ०ज०जा०/अ०जा०)

महिला— 148 से 0मी० (सभी के लिए)

(ii) सीना :— पुरुष— 79 से 0मी० (सामान्य/ओ०बी०सी०/बी०सी०)

76 से 0मी० (अ०ज०जा०/अ०जा०)

(SC/ST उम्मीदवारों को शारीरिक माप में छूट के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ऑन-लाईन जाति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे)।

(ङ) तकनीकी दक्षता (सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए) :— अभ्यर्थी को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष होना चाहिए तथा उससे संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत/स्वनियोजित तथा तकनीकी जानकार होना चाहिए। इन जानकारों को सामान्य रूप से तकनीकी योग्य माना जायेगा— चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता, प्राध्यापक, नर्स, कम्प्युटर ऑपरेटर,

Int

V

(10)

टंकक, लाईसेंसधारी चालक (एच0एम0भी0/एल0एम0भी0), रसोईया, बढई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली, पलम्बर, अग्निक आदि।

(सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे)।

4. चयन प्रक्रिया :- गृह विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची की अधिसूचना संख्या-5442, दिनांक-20.10.2014 के आलोक में चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत निम्नलिखित जाँच परीक्षा ली जायेगी।

(क) शारीरिक जाँच परीक्षा :- इसके अन्तर्गत 1 मील की दौड़, ऊँची कूद, लम्बी कूद, शॉट पूट सम्मिलित होगा, जिसमें अंक निम्नवत् प्रदान किया जायेगा।

(i) ग्रामीण गृह रक्षक तथा गैर तकनीकी शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए :-

जाँच	पुरुष	महिला
दौड़ (1 मील)	5 मिनट या पहले — 20 अंक 5 से अधिक — 6 मिनट तक — 10 अंक 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अयोग्य माने जायेंगे।	8 मिनट या पहले— 20 अंक 8 से अधिक — 10 मिनट तक— 10 अंक 10 मिनट से अधिक समय लेने वाले अयोग्य माने जायेंगे।
ऊँची कूद	(क) न्यूनतम 4 फीट — 5 अंक (ख) 4' — 4' 3" — 6 अंक (ग) 4' 3" — 4' 6" — 7 अंक (घ) 4' 6" — 4' 9" — 8 अंक (च) 4' 9" — 5' — 9 अंक (छ) 5' से अधिक — 10 अंक	(क) न्यूनतम 3 फीट — 5 अंक (ख) 3' — 3' 3" — 6 अंक (ग) 3' 3" — 3' 6" — 7 अंक (घ) 3' 6" — 3' 9" — 8 अंक (च) 3' 9" — 4' — 9 अंक (छ) 4' से अधिक — 10 अंक
लम्बी कूद	(क) न्यूनतम 12 फीट — 5 अंक (ख) 12' — 13' — 6 अंक (ग) 13' — 14' — 7 अंक (घ) 14' — 15' — 8 अंक (च) 15' — 16' — 9 अंक (छ) 16' से अधिक — 10 अंक	(क) न्यूनतम 9 फीट — 5 अंक (ख) 9' — 10' — 6 अंक (ग) 10' — 11' — 7 अंक (घ) 11' — 12' — 8 अंक (च) 12' — 13' — 9 अंक (छ) 13' से अधिक — 10 अंक
शॉट पूट	16 पौण्ड— न्यूनतम — 16 फीट	10 पौण्ड— न्यूनतम — 10 फीट

(ii) तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए :-

जाँच	पुरुष	महिला
दौड़ (1 मील)	6 मिनट या पहले — 20 अंक 6 से अधिक — 8 मिनट तक — 10 अंक 8 मिनट से अधिक समय लेने वाले अयोग्य माने जायेंगे।	8 मिनट या पहले — 20 अंक 8 से अधिक — 12 मिनट तक — 10 अंक 12 मिनट से अधिक समय लेने वाले अयोग्य माने जायेंगे।

Int

✓

✓

ऊँची कूद	(क) न्यूनतम 3.5फीट	— 5 अंक	(क) न्यूनतम 2.5फीट	— 5 अंक
	(ख) 4' और अधिक	— 10 अंक	(ख) 3' और अधिक	— 10 अंक
लम्बी कूद	(क) न्यूनतम 9फीट	— 5 अंक	(क) न्यूनतम 6फीट	— 5 अंक
	(ख) 10' और अधिक	— 10 अंक	(ख) 7' और अधिक	— 10 अंक
शॉट पूट	16 पौण्ड— न्यूनतम	— 12 फीट	10 पौण्ड— न्यूनतम	— 8 फीट

(ख) हिन्दी लेखन क्षमता परीक्षा :- शारीरिक जाँच परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को हिन्दी लेखन क्षमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7 वीं कक्षा तथा शहरी गृह रक्षकों के लिए 10 वीं कक्षा के स्तर अनुसार लेखन क्षमता की जाँच की जायेगी, यह क्वालिफाईंग होगा। पूर्णांक 100 एवं उत्तीर्णांक 30 होगा।

(ग) तकनीकी दक्षता परीक्षा :- (सिर्फ शहरी तकनीकी दक्ष गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए):- शारीरिक जाँच परीक्षा एवं हिन्दी लेखन क्षमता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की तकनीकी दक्षता परीक्षा ली जायेगी, जो क्वालिफाईंग होगा। पूर्णांक 100 एवं उत्तीर्णांक 30 होगा।

(घ) सभी जाँच परीक्षा की समाप्ति के बाद उपर्युक्त अधिसूचना में दिये गये प्रावधान के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी जिसके आलोक में रिक्ति के विरुद्ध चयन किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय जाँच तथा पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराने के पश्चात् उसे अनुकूल पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यालय, झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, राँची के आदेशोपरान्त गृह रक्षक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें गृह रक्षक के रूप में नामांकन कर प्रावधान अनुसार नामांकन प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

5. अभ्यर्थी जो राष्ट्र/राज्य स्तरीय खेलकूद में पुरस्कृत हुए हैं उन्हें निम्नवत् अतिरिक्त अंक प्रदान किया जायेगा।

(सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत पुरस्कार प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे)।

स्थान	राष्ट्रीय	राज्य स्तरीय
प्रथम	6 अंक	3 अंक
द्वितीय	4 अंक	2 अंक
तृतीय	2 अंक	1 अंक

6. शहरी गृह रक्षक के रूप में सरकारी सेवकों को शहरी गृह रक्षक के पूर्ण रिक्तियों के 10 प्रतिशत नामांकित करने की सीमा निर्धारण है। इसके लिए सरकारी सेवक अपने कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे। सरकारी सेवकों का शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निम्नवत् अंक दिये जायेंगे :-

स्नातकोत्तर	—	10 अंक
स्नातक	—	8 अंक
इण्टरमीडिएट	—	6 अंक
मैट्रिक	—	4 अंक

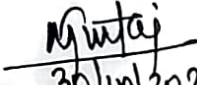
lwt

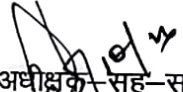
✓

00

7. आवेदन कैसे जमा करें:- ऑन-लाईन आवेदन करने से संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइट <https://recruitment.jharkhand.gov.in> पर उपलब्ध होगी। आवेदक केवल जैप आई0टी0, राँची, झारखण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये वेबसाइट- <https://recruitment.jharkhand.gov.in> पर दिनांक-17.11.2026 से दिनांक-01.12.2026 तक अपना आवेदन ONLINE (ऑन-लाईन) कर पायेंगे। आवेदन शुल्क 100रु0 (एक सौ रुपये) मात्र की राशि निर्धारित वेबसाइट पर ONLINE PAYMENT GATEWAY के माध्यम से भुगतान किया जाना अनिवार्य है। भुगतानोपरांत अंतिम रूप से आवेदन स्वीकार समझा जायेगा।
8. ऑन-लाईन आवेदन में आवेदक द्वारा स्वअभिप्रमाणित (Self attested) प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है।
9. आवेदक अपना आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र (तकनीकी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए), कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण पत्र (यदि कार्य अनुभव हो तो), खेलकूद से संबंधित प्रमाण पत्र (केवल राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतिस्पर्धा में प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान पर चयनित हुए हों तो) को ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड करेंगे एवं उपरोक्त प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का निर्गत होना अनिवार्य है।
10. तलाकशुदा/परित्यक्ता/विधवा अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे।
11. एक आवेदक से एक ही आवेदन स्वीकार्य होगा। आवेदक अपने ही प्रखण्ड/शहरी क्षेत्र से आवेदन कर सकते हैं। उपरोक्त के विपरित आवेदन करने पर चयन प्रक्रिया के किसी भी STAGE पर अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
12. अर्हता के अनुरूप आवेदक से ऑनलाईन आवेदन में मांगी गई सभी विवरणी को पूर्णरूपेण भरा जाना अनिवार्य है।
13. आवेदक के आवेदन भरने में किसी प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में जैप0आई0टी0, राँची का ईमेल आईडी Jharkhand.recruitment@rediffmail.com पर मेल किया जा सकता है अथवा N.I.C कार्यालय, लातेहार या जिला समादेष्टा कार्यालय, झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, लातेहार से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।
14. आवेदक के द्वारा मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाईसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड में से किसी एक का विवरण ऑनलाईन आवेदन में देना अनिवार्य है। आधार कार्ड वांछित हैं।
15. विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना एवं गृह रक्षकों का नव-नामांकन का परीक्षाफल N.I.C लातेहार के वेबसाइट पर या दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जायगी।
16. झारखण्ड गृह रक्षक (स्वयंसेवक) नियमावली, 2014 के अनुरूप गृह रक्षकों का नामांकन 4 वर्ष के लिए किया जाता है तथा पूर्व नामांकित वैसे गृह रक्षक जिनका बॉण्ड 4 वर्ष के बाद समाप्त हो जाता है, उनका पुनर्नामांकन कंडिका- 6 के अन्तर्गत किया जाता है।

17. अभ्यर्थी द्वारा नव-नामांकन से संबंधित किसी भी प्रकार की गलत सूचना दिये जाने पर उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी एवं संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता किसी भी चरण (STAGE) में रद्द की जा सकती है, जिसके संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
18. गृह रक्षकों का नव-नामांकन की प्रक्रिया के निष्पादन के क्रम में किसी भी स्तर पर त्रुटि के निराकरण और संशय (यदि कोई हो तो) के समाधान हेतु झारखण्ड गृह रक्षक (स्वयंसेवक) नियमावली, 2014 के प्रावधान सर्वोपरि होंगे।
19. आवेदन की अवधि एवं विज्ञापन में किसी प्रकार का आवश्यक संशोधन किया जा सकता है।


30/10/2026
जिला समादेशी-सह-सदस्य,
गृह रक्षक नवनामांकन समिति,
लातेहार।


पुलिस अधीक्षक-सह-सदस्य,
गृह रक्षक नवनामांकन समिति,
लातेहार।


उपायुक्त-सह-अध्यक्ष,
गृह रक्षक नवनामांकन समिति,
लातेहार।